न्यायालय मुंसिफ, डुमरॉव, बक्सर।

टी0 एस0– 4<u>9/201</u>2

08.09.2022

उभय पक्ष की हाजिरी दी गयी। वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 07.07.2022 अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 एवं अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 धारा 151 सी.पी.सी. को प्रचालित किया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मुदई सं0–1 रामदेव सिंह की मृत्यु दिनांक 14.06.2022 को हो गयी है एवं मुदालय सं0–2 ललन सिंह की मृत्यु दिनांक 31.03. 2022 को हो चुकी है। अतः उक्त मुदई संख्या 1 एवं मुदालय संख्या 2 का नाम कलमजद कर उनके स्थान पर उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित किया जाय।

वाद अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिस्थापन आवेदन समय–सीमा के अंदर है। अतः वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 07.07. 2022 को स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय को निदेर्श दिया जाता है कि आवेदनानुसार वादी संख्या 1 रामदेव सिंह एवं प्रतिवादी संख्या 2 ललन सिंह का नाम कलमजद कर उनके स्थान पर उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें।

वाद दिनांक–02.11.2022 वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

मुंसिफ, डुमरॉव